बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-..04/रा0आ0नि0श0 दिनांक-..04..जनवरी'2021

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- **कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण के नियंत्रण से सम्बन्धित टीकाकरण कार्य में दिव्यांगों/विशेष सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखपूर्वक कहना है कि विविध दिव्यांगजनों से विविध माध्यमों/अवसरों पर यथा विविध स्तरीय समीक्षात्मक बैठकों, चलन्त न्यायालयों, दिव्यांगजनों समूहों से सम्बन्धित समीक्षात्मक बैठक के दौरान दिव्यांगों/विशेष सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगों को कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण से सम्बन्धित टीकाकरण कार्य में प्राथमिकता के आधार पर शामिल किए जाने हेतु प्रतिवेदन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामलें में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अध्याय-05 (सामाजिक सुरक्षा) की धारा- 24(3) (ग) के प्रावधान अंतर्गत प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान और संघर्ष के क्षेत्र में दिव्यांगजनों की सहायता हेतु राज्य सरकारें समुचित प्राधिकार है। साथ ही अधिनियम,2016 के अध्याय-02 (अधिकार और हकदारियाँ", संरक्षण एवं सुरक्षा) की धारा-8(1) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को जोखिम, सशस्त्र, संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की दशाओं में समान संरक्षण और सुरक्षा प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

इस आपदा स्थिति **के नियंत्रण** में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभाविता के आलोक में उनकी सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के प्रावधान अन्तर्गत राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि कोविड19 **(COVID-19)** के संक्रमण के नियंत्रण से सम्बन्धित टीकाकरण कार्य में दिव्यांगों/विशेष सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
(ह0) 04.01.2021
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-..04/रा0आ0नि0श0 दिनांक-..04..जनवरी'2021

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 04.01.2021
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0.............

ज्ञापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-04/आ0नि0श0 दिनांक-04 जनवरी'2021

प्रतिलिपि:-सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
04.01.2021
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-04/आ0नि0श0 दिनांक-04 जनवरी'2021

प्रतिलिपि:-सभी सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

ह०/-
04.01.2021
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-04/आ0नि0श0 दिनांक-04 जनवरी'2021

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
04.01.2021
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।